न्यायालय जिला कलक्टर, बीकानेर

बईजलास श्री कुमार पाल गौतम, आई.ए.एस., जिला कलक्टर, बीकानेर

नम्बर मुकदमा 40/2008 रेफरेंस प्रार्थना पत्र

स्टेट जरिये भूमिधारी उपनिवेशन तहसीलदार, पूगल

प्रार्थी

बनाम

श्रीमती राधाबाई पत्नि किमताराम जाति सिन्धी निवासी चक 9 के.एल.डी. हाल निवासी 5–सी–148 जयनारायण व्यास कॉलोनी, बीकानेर

अप्रार्थी

रेफरेंस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 232 आर.टी.एक्ट,1955 सपठित धारा 82 एल.आर.एक्ट,1956

1– स्टेट की ओर से – विभागीय प्रतिनिधि उपस्थित

2– अप्रार्थी की ओर से – भरत कजाणी हाजिर नहीं।

: आदेश :

दिनांक 13.01.2020

प्रार्थी स्टेट की ओर से उपनिवेशन तहसीलदार, पूगल द्वारा यह प्रार्थना–पत्र दिनांक 25.02.2000 को कलक्टर एवं उपायुक्त उपनिवेशन, बीकानेर के समक्ष प्रस्तुत हुआ। क्षेत्राधिकार परिवर्तन होने के कारण प्रार्थना–पत्र इस न्यायालय को हस्तानान्तरित होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर पेशी में लिया गया। प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि चक 9 केएलडी के मु.नं. 133/34 के किला नं. 1 ता 3, 8 ता 13 व 15 ता 25 की 20 बीघा कमाण्ड भूमि श्री बोदूराम पुत्र निम्बाराम जाट साकिन रताऊ तहसील लाडनू जिला नागौर को बतौर भूमिहीन पुख्ता आवंटन हुई। आवंटित भूमि बिना खातेदारी अधिकार प्राप्त किये अप्रार्थीया को वसियत करदी, जो राजकीय स्टाम्प ड्यूटी की चोरी की आड में अवैध बेचान की श्रेणी में आता है। इसलिए यह नियम विरूद्ध होने से खारिज योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर माननीय राजस्व मण्डल को प्रकरण रेफरेन्स करने का निवेदन किया गया।

2. अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से श्री भरत कजाणी उपस्थित आये।

3. तदन्तर उभयपक्ष की बहस हेतु नियत पेशी पर स्टेट की ओर से विभागीय प्रतिनिधि उपस्थित आये। अप्रार्थी हाजिर नहीं आये। प्रकरण में विभागीय प्रतिनिधि की एकतरफा बहस सुनी गयी।

जिला कलक्टर, बीकानेर

4. स्टेट की ओर से विभागीय प्रतिनिधि ने प्रार्थना पत्र के बिन्दुओ को दोहराते हुए कथन किया कि आवंटी द्वारा खातेदारी अधिकार प्राप्त कियें बिना वसियत करना नियम विरूद्ध है। अप्रार्थीया के पक्ष में राजकीय स्टाम्प ड्यूटी की चोरी की आड में अवैध बेचान किया गया है। अतः प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को रेफरेन्स किया जावे।

5. हमने विभागीय प्रतिनिधि की बहस का मनन किया व पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पत्रवली की आदेशिका में दिनांक 10.7.12 को श्री भरत कजाणी वगैरा की और से एक प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत हुआ है, जिसमें इस बात का उल्लेख आया है कि अप्रार्थीया श्रीमती राधाबाई का स्वर्गवास दिनांक 29.5.1998 को हो गया। राधाबाई के पुत्र स्वर्गीय मुरलीधर दिनांक 25.09.2002 को फोत होगये व उनकी पत्नी लाजवन्ती दिनांक 07.02.1999 को फोत होगई। प्रार्थी स्टेट की ओर से उपनिवेशन तहसीलदार, पूगल ने हस्तगत प्रार्थना पत्र न्यायालय कलक्टर एवं उपायुक्त उपनिवेशन, बीकानेर के समक्ष दिनांक 25.02.2000 को प्रस्तुत किया है, जबकि अप्रार्थीया की मृत्यु दिनांक 29.05.1998 को ही हो चुकी थी। पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थना पत्र भरत कजानी आदि से पुष्टि होती है। इस आधार पर उपनिवेशन तहसीलदार पूगल द्वारा मृतक अप्रार्थीया के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जो मृत व्यक्ति के विरूद्ध प्रस्तुत होने के कारण सारहीन हो चुका हैं।

6. उपरोक्त विवेचन के आधार पर हस्तगत प्रार्थना पत्र सारहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। हम प्रकरण में विस्तृत जांच करवायी जाना न्यायोचित समझते है। प्रकरण तहसीलदार, खाजूवाला को प्रार्थना पत्र मय संलग्न दस्तावेजात के प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे पक्षकारान को सुनवाई व साक्ष्य/सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देते हुए प्रकरण में विधिवत एवं नियमो के परिपेक्ष्य मे विस्तृत जांच एक माह में आवश्यक रूप से की जाकर समुचित कार्यवाही करे। यदि जांच में की गई कार्यवाही नियम विरूद्ध पाई जावे तो नियमानुसार सक्षम न्यायालय में कार्यवाही की जाना सुनिश्चित करें।

7. आदेश आज दिनांक **13.01.2020** को हमारे द्वारा लिखाया जा कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कुमार पाल गौतम)
जिला कलक्टर, बीकानेर
जिला कलक्टर, बीकानेर